न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
04 / 2020 प्रा.पत्र / 2020 जीसीएमएस नं.–07 / 2020	13.01.2020	14.11.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री राहुल जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन निवासी भूमि विकास बैंक के पास उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स शान्तिनाथ प्रोविजन स्टोर बस स्टैण्ड सोंप तह. उनियारा जिला टोंक। पिनकोड–304024

2–मैसर्स शान्तिनाथ प्रोविजन स्टोर बस स्टैण्ड सोंप तह. उनियारा जिला टोंक।

3–श्री हरिनारायण शर्मा पुत्र श्री श्रीनारायण शर्मा निवासी बासों का तबेला उनियारा प्रोपरायटर मैसर्स सपना ट्रेडिंग कम्पनी पुरानी नगरपालिका के पीछे उनियारा जिला टोंक राज.। पिनकोड–304024

4–मैसर्स सपना ट्रेडिंग कम्पनी पुरानी नगरपालिका के पीछे उनियारा जिला टोंक राज.। पिनकोड–304024

5–श्री सुनिल शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा निवासी 252ए शिवनगर–2, मुरलीपुरा जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स केशव माधव इण्डस्ट्रीज प्लॉट नं. 30, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा जयपुर राज.। पिनकोड–302012

6–मैसर्स केशव माधव इण्डस्ट्रीज प्लॉट नं. 30, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा जयपुर राज.। पिनकोड–302012

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 श्री राधेश्याम धाकड़

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 5 व 6 श्री जितेन्द्र कुमार जैन उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 14/11/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.10.2019 को समय 02:00 पी.एम. पर मैसर्स शान्तिनाथ प्रोविजन स्टोर बस स्टैण्ड सोंप तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री राहुल जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री राहुल जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राहुल जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन ने

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना जाहिर किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थ के साथ–साथ लगभग 40 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 500–500 एम.एल. पैक **रिफाइंड पाम ऑयल (लक्ष्मी भोग ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री राहुल जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री राहुल जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान की रैक में रखे लगभग 40 मूल पैक पैक्ड अवस्था में **रिफाइंड पाम ऑयल (लक्ष्मी भोग ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर सीकेएम/08 एवं पैकिंग की दिनांक अगस्त/19 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 500–500 एम. एल. पैक के 4 मूल पैक खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइंड पाम ऑयल (लक्ष्मी भोग ब्राण्ड)** 500–500 एम.एल. पैक के 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों एक–एक नग के बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2336 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2336 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉं तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

विक्रेता श्री राहुल जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन मैसर्स शान्तिनाथ प्रोविजन स्टोर बस स्टैण्ड सोप तह. उनियारा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स सपना ट्रेडिंग कम्पनी पुरानी नगरपालिका के पीछे उनियारा जिला टोंक का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स सपना ट्रेडिंग से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स केशव माधव इण्डस्ट्रीज प्लॉट नं. 30, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा जयपुर राज. का खरीद बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/19/2324 दिनांक 07.11.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/2392/एक्ट/2019/1929 दिनांक 01.11.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **रिफाइंड पाम ऑयल (लक्ष्मी भोग ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 के अभिभाषक उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। अप्रार्थी सं. 3 व 4 को कई बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थी सं. 3 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइंड पाम ऑयल (लक्ष्मी भोग ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **रिफाइंड पाम ऑयल (लक्ष्मी भोग ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत दण्डनीय की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 ता 4 ने वारन्टी बिल के आधार पर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किया है, अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 4 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/11/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सांकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज